राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी–3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर।

क्रमांक : एफ 1(15)/निवियो/2020/6064 जयपुर, दिनांक 31/7/2020

विषय : स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से विशेष योग्यजनों हेतु संचालित मानसिक विमंदित, मूक बधिर, नेत्रहीन एवं बहु–दिव्यांगता श्रेणी के आवासीय/गैर आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में कार्यरत मानदेय कर्मियों के मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि।

प्रसंग : पूर्व में जारी समसंख्यक पत्रांक 3722 दिनांक 25.01.2006, पत्रांक 30328 दिनांक 24.06.2006, पत्रांक 39181 दिनांक 21.07.2010, पत्रांक 30368 दिनांक 08.04.2011 एवं पत्रांक 431 दिनांक 11.04.2018

स्वैच्छिक ऐजेन्सियों के सहायता अनुदान नियम 1972 के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित मानसिक विमंदित, मूक बधिर, नेत्रहीन एवं बहु–दिव्यांगता श्रेणी के आवासीय/गैर आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों हेतु निर्धारित मानदेय की दरों हेतु प्रासंगिक आदेशों से मानदेय का निर्धारण किया गया था। वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर निदेशालय से अनुदानित स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित आवासीय/गैर आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में कार्यरत मानदेय कर्मियों के मानदेय में निम्नानुसार 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दिनांक 01.08.2020 से, पूर्व शर्तो के अध्यधीन की जाती है :–

आवासीय/गैर आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास

क्र.सं.	पद	वर्तमान दर (प्रतिमाह)	दिनांक 01.08.2020 से प्रभावी दर (प्रतिमाह)
1	प्रधानाध्यापक	12300	15375
2	प्रशिक्षित विशेष शिक्षक	12000	15000
3	अप्रशिक्षित अध्यापक	5250	6562
4	वार्डन	6000	7500
5	लेखाकार कम लिपिक	6000	7500
6	स्पीच थेरेपिस्ट/ऑडियोलोजिस्ट/ फिजियो थेरापिस्ट/ ब्रेल–शिक्षक/ योग प्रशिक्षक/साईकॉलोजिस्ट/ चिकित्सक	6000	7500
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/परिचारिका	3750	4687
8	रसोईया	3750	4687
9	व्यावसायिक प्रशिक्षक	6000	7500
10	चौकीदार	3750	4687
11	स्वीपर (अंशकालीन)	3000	3750

1. संस्था द्वारा संचालित मानसिक विमंदित, मूक बधिर, नेत्रहीन एवं बहु–दिव्यांगता श्रेणी के आवासीय/गैर आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में कार्यरत मानदेय कर्मियों को प्रतिमाह देय मानदेय का भुगतान उनके नाम से खुले बचत खाते के माध्यम से करना होगा।

नोट :–अन्य शर्ते एवं प्रावधान पूर्वानुसार रहेंगे।

पूर्व निर्धारित स्कीम/नॉर्म्स में यह वृद्धि आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की आई. डी. संख्या 162000533 दिनांक 16.07.2020 के आधार पर प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

31/7/2020

(गजानन्द शर्मा)
आयुक्त
एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक : एफ 1(15)/निवियो/2020/ 6065-214 जयपुर, दिनांक 31/7/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1 विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आई. डी. संख्या 162000533 दिनांक 16.07.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
5 निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर।
6 समस्त जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,...
7 अध्यक्ष/मंत्री/सचिव,...
8 आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

...\data\Rory\HANDICAPPED\pareek ji\School grant norms.doc